दूरभाष— 2286704
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

255

पत्रांक : 1193 /05/76/एक/2015—16 दिनांक : 10 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–बदायूँ।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015—16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
ओरियन्टियल बैंक आफ कामर्स	08242041006241	IFSC Code ORBC0100824	85.913

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	बदायूँ	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 उसहैत	निर्माण पेवर ब्लाक रोड एवं नाली वार्ड नं0 03 व 8 में उसहैत म्याऊँ बाई पास से एच 10 नत्थू तक एवं मीर तकी(पप्पू) से खुशीराम बाईपास म्याऊँ से नत्थू के मकान तक, पुत्तू के मकान से अनवार के मकान तक एवं हुड्डा मो0 रोड इस्लामनगर में नाली व रोड निर्माण कार्य।	27.929
2	बदायूँ	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 उसावां	निर्माण पेवर ब्लाक रोड एवं नाली वार्ड नं0 03, 04 व 8 में अमरपाल के मकान से सुखपाल के मकान तक, राजाराम धोबी के मकान से नरेश धोबी के मकान तक एवं तोताराम के मकान से बब्बन के मकान तक नाली व रोड निर्माण कार्य।	28.022
3	बदायूँ	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 वजीरगंज	निर्माण पेवर ब्लाक रोड एवं नाली वार्ड नं0 01, 02,05 व 9 में विभिन्न गलियों में पेवर ब्लाक तथा नाली निर्माण कार्य	15.854
4	बदायूँ	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 कुंवरगांव एवं कछला	निर्माण पेवर ब्लाक रोड एवं नाली वार्ड नं0 02, व 05 में लक्ष्मीपुर में विभिन्न गलियों में पेवर ब्लाक तथा नाली निर्माण कार्य	14.108
	योग				85.913

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये–

1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

दूरभाष : 2280709
2280710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

[illegible] परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय [illegible] ही कार्य आरम्भ कराया जाय।

[illegible] के साथ [illegible] सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार [illegible] स्वीकृति [illegible] कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित [illegible] की स्थिति में [illegible] तत्काल अभिकरण मुख्यालय को [illegible] सुनिश्चित करें।

[illegible] स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य [illegible] एवं पर्यावरणीय [illegible] के अन्तर्गत यदि कोई [illegible]/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, [illegible]

[illegible] स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाय।

[illegible] के पूर्ण होने [illegible] उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित [illegible] में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिए आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] की सहमति ले ली जाये।

[illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग [illegible] वर्ष 2015-16 में अवश्य कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को प्रत्येक [illegible] में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज [illegible] की गई धनराशि पर देय होगा।

[illegible] इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्राविधानों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी [illegible] परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे [illegible] उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

[illegible] परियोजना में भुगतान से पूर्व [illegible] स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य वैधिक [illegible] के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] उपयोग उसी परियोजना के लिए किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि [illegible] को अवमुक्त [illegible] स्वीकृत कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की [illegible] हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को [illegible] सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी [illegible] रूप से उत्तरदायी होंगे।

[illegible] परियोजना में आवंटन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं [illegible] की धनराशि [illegible] शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। [illegible] के सापेक्ष [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण [illegible] गई धनराशि के सापेक्ष [illegible] निर्धारित प्रपत्र पर [illegible] शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें [illegible] अवमुक्त [illegible] जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

[illegible]
[illegible]

[illegible] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
[illegible] जिला नगरीय विकास अभिकरण, [illegible]
[illegible]
[illegible]

(हस्ताक्षर)

[illegible]
[illegible]